

— 07 —

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या-100/2023
राज्य बनाम् छः सायकिल एवं होण्डा मोटरसाईकिल संख्या-JH02BD-3319 के स्वामी एवं अन्य

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

—:: आदेश ::—

अभिलेख उपस्थापित। यह राज्यसात की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के ज्ञापांक-2139/अप०शा०, दिनांक-04.09.2023 द्वारा माण्डू थाना काण्ड संख्या-93/2023, Jharkhand Minerals (Prevention Of Illegal Mining Transportation & Storage) Rules-2017 & 54 Jharkhand Mineral Concession Rule-2004 And 21 Mines & Minerals (Regulation & Development) Act-1957 के अंतर्गत वाहन छः सायकिल एवं होण्डा मोटरसाईकिल संख्या-JH02BD-3319 के जिसमें लदा कुल वजन करीब 720 किलोग्राम कोयला को राज्यसात की कार्रवाई अनुशंसा की गई है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-1329/विधि, दिनांक-27.09.2023 के द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को स्पष्ट मंतव्य के साथ जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्रांक-1005/खनन, दिनांक-27.09.2023 से माण्डू थाना काण्ड संख्या-93/23 में छः सायकिल एवं होण्डा मोटरसाईकिल संख्या-JH02BD-3319 जिसपर लदा छः बोरी पोड़ा कोयला वजन लगभग 120 कि०ग्रा० को नियमानुसार राज्यसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव न्यायालय को प्राप्त है।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P.(Cr.) No.-1072/2023, W.P.(C) No.-6788/2023, W.P.(C) No.-7531/2023 में पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्यवाही बिना प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है। तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को भेंजे।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chanday
19/05/25

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Chanday
19/05/25

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।